भारतीय संसद
(राज्य सभा सचिवालय)
(भर्ती प्रकोष्ठ)

विज्ञापन सं. 1/2017

ऑनलाइन आवेदन करने की आरंभिक तिथिः 25 जुलाई, 2017

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथिः 18 अगस्त, 2017

राज्य सभा सचिवालय में नीचे दी गई अनंतिम रिक्ति स्थिति के अनुसार निम्नलिखित पदों को भरने के लिए पात्र भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:

<table>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td colspan="5">4</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">पद समूह कोड</td><td rowspan="2">पद कोड</td><td rowspan="2">पदनाम और वेतनमान</td><td colspan="5">रिक्तियों की अनंतिम संख्या</td><td rowspan="2">पद के लिए अनुमत्य शारीरिक दिव्यांगता का स्वरूप</td></tr>
<tr><td>कुल</td><td>अ. जा.</td><td>अ. ज. जा.</td><td>अ. पि. व.</td><td>अनारक्षित</td></tr>
<tr><td>I</td><td>1</td><td>संसदीय भाषांतरकार (अंग्रेजी/हिन्दी): 15600-39100 रुपये (वेतन बैंड-3) ग्रेड वेतनः 5400 रुपये/लेवल-10</td><td>1</td><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">0</td><td rowspan="2">0</td><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">ओ.एल./बी.एल., ओ.ए.,ओ.ए.एल, बी./एल.वी.</td></tr>
<tr><td>II</td><td>2</td><td>संसदीय भाषांतरकार (उड़िया): 15600-39100 रुपये (वेतन बैंड-3) ग्रेड वेतनः 5400 रुपये/ लेवल -10</td><td>1</td></tr>
<tr><td rowspan="6">III</td><td>3</td><td>सहायक विधायी/समिति/नयाचार/अधिशासी सहायक अधिकारीः 9300-34800 रुपये (वेतन बैंड-2) ग्रेड वेतनः 4800 रुपये/ लेवल -8</td><td>20</td><td>3</td><td>2</td><td>5</td><td>10</td><td>ओ.एल./बी..एल., ओ.ए., एच.एच.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>आशुलिपिक (अंग्रेजी): 9300-34800 रुपये (वेतन बैंड-2) ग्रेड वेतनः 4200 रुपये/ लेवल -6</td><td>11</td><td>शून्य</td><td>1</td><td>4</td><td>6</td><td>ओ.एल./बी..एल.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>सुरक्षा सहायक ग्रेड-II: 9300-34800 रुपये (वेतन बैंड-2) ग्रेड वेतनः 4200 रुपये/ लेवल -6</td><td>21</td><td>4</td><td>2</td><td>2</td><td>13</td><td>यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है।</td></tr>
<tr><td>6</td><td>सचिवालय सहायक (अंग्रेजी): 5200-20200 रुपये (वेतन बैंड-1) ग्रेड वेतनः 2400 रुपये/ लेवल -4</td><td>30</td><td rowspan="3">5</td><td rowspan="3">2</td><td rowspan="3">10</td><td rowspan="3">22</td><td rowspan="3">ओ.एल., बी.एल., एच.एच.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>सचिवालय सहायक (हिन्दी): 5200-20200 रुपये (वेतन बैंड-1) ग्रेड वेतनः 2400 रुपये/ लेवल -4</td><td>7</td></tr>
<tr><td>8</td><td>सचिवालय सहायक (उर्दू): 5200-20200 रुपये (वेतन बैंड-1) ग्रेड वेतनः 2400 रुपये/ लेवल -4</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">IV</td><td>9</td><td>अनुवादकः 9300-34800 रुपये (वेतन बैंड-2) ग्रेड वेतनः 4800 रुपये/लेवल-8</td><td>19</td><td>3</td><td>1</td><td>4</td><td>11</td><td>ओ.एल./बी.एल., ओ.ए.,ओ.ए.एल, एच.एच.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>प्रूफ रीडरः 9300-34800 रुपये (वेतन बैंड-2) ग्रेड वेतनः 4200 रुपये/ लेवल-6</td><td>3</td><td>शून्य</td><td>1</td><td>शून्य</td><td>2</td><td>ओ.एल./बी.एल., ओ.ए.,ओ.ए.एल, एच.एच.</td></tr>
</table>

प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षरः - ओ.एल.: ***एक पैर से दिव्यांग,*** **बी.एल.:** ***दोनों पैरों से दिव्यांग,*** **ओ.ए.:** ***एक बांह से दिव्यांग,*** **ओ.ए.एलः** ***एक बांह और एक पैर से दिव्यांग,*** **एच.एच.:** ***श्रवण दिव्यांग,*** **बी.:** ***दृष्टिबाधित,*** **एलवीः** ***अल्प-दृष्टि***

ऊपर दर्शाए गए विभिन्न पदों के लिए दी गई रिक्तियों की संख्या अनंतिम है और इनमें परिवर्तन हो सकता है। यदि रिक्तियों की संख्या में कोई परिवर्तन होता है तो कौशल परीक्षा/लिखित परीक्षा के आयोजित किए जाने से पहले उसकी सूचना राज्य सभा की वेबसाइट पर अधिसूचित कर दी जाएगी। सचिवालय का यह प्रयास रहता है कि कार्यबल में स्त्री-पुरुष का संतुलन बना रहे और महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

2. निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण

उपर्युक्त रिक्तियों में निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या इस प्रकार हैः

पदनाम	सेवा का समूह	आरक्षित पदों की संख्या	निःशक्त व्यक्तियों की श्रेणियां
सहायक विधायी/समिति/नयाचार/ अधिशासी अधिकारी	समूह 'ख'	1	अस्थि दिव्यांग (ओ.एल./बी.एल.)
अनुवादक		1	श्रवण दिव्यांग (एच.एच.)
सचिवालय सहायक	समूह 'ग'	1	अस्थि दिव्यांग (ओ.एल./बी.एल.), श्रवण दिव्यांग (एच.एच.)

3. जैसा कि उपर्युक्त पैरा 1 में दी गई तालिका के कॉलम 1 में दर्शाया गया है, एक ही "पद समूह" में शामिल एक या एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करते समय एक ही आवेदन पत्र भरा जाना चाहिए। तथापि, अलग-अलग "पद समूहों" में दिए गए पदों के लिए पृथक आवेदन पत्र भरे जाने चाहिए।

4. पात्रता संबंधी शर्तेंः

क. अर्हताएं और अनुभवः

पद समूह	पद कोड	पदनाम	अर्हताएं और अनुभव
I	1	संसदीय भाषांतरकार (अंग्रेजी/हिन्दी)	अनिवार्यः किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर तक हिन्दी भाषा माध्यम सहित अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री या डिग्री स्तर तक अंग्रेजी भाषा माध्यम सहित हिन्दी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री । वांछनीयः (i) अनुवाद या भाषांतरण कार्य का अनुभव। (ii) एआईसीटीई/डीओईएसीसी से मान्यताप्राप्त कंप्यूटर पाठ्यक्रम या डीओईएसीसी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम अवधि में 'ओ' स्तर के समकक्ष पाठ्यक्रमों में प्रमाणपत्र। नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों को राज्य सभा सचिवालय द्वारा विनिर्दिष्ट की गई अवधि के लिए भाषान्तरण का प्रशिक्षण लेना होगा। उन्हें भाषान्तरण में यथाविहित दक्षता के साथ विभागीय परीक्षा में भी अर्हता प्राप्त करनी होगी। जो अभ्यर्थी उक्त परीक्षा में उर्तीण नहीं होंगे उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे समय-समय पर सौंपे जाने वाले निर्वचन से इतर कार्य भी निष्पादित करेंगे।

II	2	संसदीय भाषांतरकार (उड़िया)	अनिवार्यः किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर तक उड़िया भाषा सहित किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री। वांछनीयः (i) उड़िया या अंग्रेजी/हिन्दी में अनुवाद या भाषांतरण कार्य का अनुभव और अंग्रेजी/हिन्दी में डिग्री। (ii) एआईसीटीई/डीओईएसीसी से मान्यताप्राप्त कंप्यूटर पाठ्यक्रम या डीओईएसीसी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम अवधि में 'ओ' स्तर के समकक्ष पाठ्यक्रमों में प्रमाणपत्र। नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों को राज्य सभा सचिवालय द्वारा विनिर्दिष्ट की गई अवधि के लिए भाषान्तरण का प्रशिक्षण लेना होगा। उन्हें भाषान्तरण में यथाविहित दक्षता के साथ विभागीय परीक्षा में भी अर्हता प्राप्त करनी होगी। जो अभ्यर्थी उक्त परीक्षा में उर्तीण नहीं होंगे उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे समय-समय पर सौंपे जाने वाले निर्वचन से इतर कार्य भी निष्पादित करेंगे।
III	3	सहायक विधायी/समिति/नयाचार अधिशासी अधिकारी	अनिवार्यः किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री। वांछनीयः एआईसीटीई/डीओईएसीसी से मान्यताप्राप्त कंप्यूटर पाठ्यक्रम या डीओईएसीसी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम अवधि में 'ओ' स्तर के समकक्ष पाठ्यक्रमों में प्रमाणपत्र। नियुक्त किए गए अभ्यर्थी कम्प्यूटर पर अंग्रेजी/हिंदी में 26.7 शब्द प्रति मिनट (प्रति घंटा 8000 की-डिप्रेशन) की गति से टंकण परीक्षा पास कर लेने की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे और उस अवधि तक उन्हें वेतनवृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा। जो अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की तारीख से 5 वर्ष की अवधि में इस प्रकार की टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहेंगे उन्हें सचिवालय की सेवा से हटा दिया जाएगा।
III	4	आशुलिपिक (अंग्रेजी)	अनिवार्यः किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री और अंग्रेजी में 80 शब्द प्रति मिनट आशुलिपि की गति। अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में आशुलिपि का ज्ञान रखने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। वांछनीयः एआईसीटीई/डीओईएसीसी से मान्यताप्राप्त कंप्यूटर पाठ्यक्रम या डीओईएसीसी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम अवधि में 'ओ' स्तर के समकक्ष पाठ्यक्रमों में प्रमाणपत्र।
III	5	सुरक्षा सहायक ग्रेड-II	अनिवार्यः किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री और निम्नलिखित न्यूनतम शारीरिक मानक धारकः- शारीरिक मानकः पुरुषः ऊंचाई 167.5 से.मी. (पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों के लिए 2.4 से.मी. की छूट), न्यूनतम 4.5 से.मी. के विस्तार के साथ वक्ष की परिधि 76.5 से.मी.।

			महिलाः ऊंचाई 154.6 से.मी. (पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों के लिए 2.4 से.मी. की छूट)। नेत्र-दृष्टिः दोनों आंखों में 6/12, चश्मे के बिना। अभ्यर्थी शारीरिक दोष, दिव्यांगता और बीमारी से रहित होना चाहिए और उसे रंगांधता नहीं होनी चाहिए। वांछनीयः (i) एनसीसी में 'सी' प्रमाणपत्र या विशिष्ट खिलाड़ी, जिसने खेलकूद और एथलेटिक्स में राष्ट्रीय स्तर पर किसी राज्य या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया हो या जिसने मान्यताप्राप्त अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में किसी विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो। (ii) एआईसीटीई/डीओईएसीसी से मान्यताप्राप्त कंप्यूटर पाठ्यक्रम या डीओईएसीसी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम अवधि में 'ओ' स्तर के समकक्ष पाठ्यक्रमों में प्रमाणपत्र। सुरक्षा सहायक ग्रेड-II के रूप में नियुक्त अभ्यर्थियों को परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से संपन्न किए जाने की एक शर्त के रूप में ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा जिसे उपयुक्त समझा जाए। यदि कोई अभ्यर्थी परिवीक्षा अवधि के दौरान संतोषजनक ढंग से प्रशिक्षण पूरा करने में असफल रहता है तो उसे नियमित करने पर विचार नहीं किया जाएगा और उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। तथापि, यदि उसकी सेवाएं समाप्त नहीं की जाती है तो उसकी परिवीक्षा अवधि को उपयुक्त रूप से बढ़ाया जा सकेगा।
III	6	सचिवालय सहायक (अंग्रेजी)	अनिवार्यः किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री और कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में न्यूनतम 40 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति। उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनकी अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में 40 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति हो। वांछनीयः एआईसीटीई/डीओईएसीसी से मान्यताप्राप्त कंप्यूटर पाठ्यक्रम या डीओईएसीसी द्वारा यथा निर्धारित पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम अवधि में 'ओ' स्तर के समकक्ष पाठ्यक्रमों में प्रमाणपत्र।
III	7	सचिवालय सहायक (हिन्दी)	अनिवार्यः किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री और कम्प्यूटर पर हिन्दी में न्यूनतम 40 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति। उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनकी अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में 40 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति हो। वांछनीयः एआईसीटीई/डीओईएसीसी से मान्यताप्राप्त कंप्यूटर पाठ्यक्रम या डीओईएसीसी द्वारा यथानिर्धारित पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम अवधि में 'ओ' स्तर के समकक्ष पाठ्यक्रमों में प्रमाणपत्र।

III	8	सचिवालय सहायक (उर्दू)	अनिवार्यः किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री और कम्प्यूटर पर उर्दू में न्यूनतम 40 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति। वांछनीयः एआईसीटीई/डीओईएससी से मान्यताप्राप्त कंप्यूटर पाठ्यक्रम या डीओईएससी द्वारा यथानिर्धारित पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम अवधि में 'ओ' स्तर के समकक्ष पाठ्यक्रमों में प्रमाणपत्र।
IV	9	अनुवादक	अनिवार्यः (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में स्नातकोत्तर डिग्री; या डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी में स्नातकोत्तर डिग्री; या डिग्री स्तर पर अंग्रेजी और हिन्दी विषयों के साथ-साथ किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री; और (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद में डिप्लोमा/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम; या केन्द्र या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार अथवा केन्द्र या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के किसी संगठन या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के विधानमंडल के सचिवालय या लोक सभा सचिवालय या किसी उच्च न्यायालय अथवा भारत के उच्चतम न्यायालय के कार्यालय में हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव। वांछनीयः एआईसीटीई/डीओईएससी से मान्यताप्राप्त कंप्यूटर पाठ्यक्रम या डीओईएससी द्वारा यथानिर्धारित पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम अवधि में 'ओ' स्तर के समकक्ष पाठ्यक्रमों में प्रमाणपत्र। नियुक्त किए गए अभ्यर्थी कंप्यूटर पर अंग्रेजी/हिंदी में 26.7 शब्द प्रति मिनट (प्रति घंटा 8000 की-डिप्रेशन) की गति से टंकण परीक्षा पास कर लेने की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे और उस अवधि तक उन्हें वेतनवृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा। जो अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की तारीख से 5 वर्ष की अवधि में इस प्रकार की टंकण परीक्षा उतीर्ण करने में असफल रहेंगे उन्हें सचिवालय की सेवा से हटा दिया जाएगा।
IV	10	प्रूफ रीडर	अनिवार्यः (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी अथवा हिन्दी विषय के साथ स्नातक डिग्री; और (ii)एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित किसी संस्थान से मुद्रण प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा अथवा पुस्तक प्रकाशन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा; या किसी मुद्रणालय/प्रकाशन केन्द्र में वैतनिक पद पर कार्य करने का 3 वर्ष का अनुभव जिसके मुख्य कार्य में प्रूफ रीडिंग का कार्य शामिल हो। वांछनीयः एआईसीटीई/डीओईएससी से मान्यताप्राप्त कंप्यूटर पाठ्यक्रम या डीओईएससी द्वारा यथानिर्धारित पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम अवधि में 'ओ' स्तर के समकक्ष पाठ्यक्रमों में प्रमाणपत्र।

टिप्पणी : ऐसे अभ्यर्थी जो ऐसी परीक्षा में शामिल हुए है जिसे उत्तीर्ण करने पर किसी पद के लिए शैक्षिक रूप से अर्हक होंगे, किन्तु उस परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं हुआ है और वे जो ऐसी अर्हक परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। तथापि, उन्हें 18 दिसम्बर, 2017 तक उस पद, जिसके लिए उन्होंने आवेदन किया है, के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता हासिल करनी होगी।

ख. आयु सीमाः

(i) **आवेदन की अंतिम तारीख को आयुः** संसदीय भाषान्तरकार (अंग्रेजी/हिन्दी), संसदीय भाषान्तरकार (उड़िया), अनुवादक और प्रूफ रीडर के पदों के लिए अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। शेष पदों के लिए, अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी की आयु की गणना ऑनलाइन आवेदन जमा कराने की अन्तिम तारीख से की जाएगी।

(ii) उपर्युक्त विहित अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट देय होगीः

(क) अनुसूचित जाति (अ.जा.) और अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) हेतु आरक्षित रिक्तियों के लिए अ.जा. अथवा अ.ज.जा. की श्रेणी के अभ्यर्थी, जैसी स्थिति हो, के मामले में अधिकतम पांच वर्ष;

(ख) अन्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित रिक्तियों के लिए अन्य पिछड़े वर्गों (अ.पि.व.) के ऐसे अभ्यर्थी, जो क्रीमीलेयर में नहीं है, के मामले में अधिकतम तीन वर्ष;

(ग) निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित अभ्यर्थी के मामले में अधिकतम दस वर्ष;

(घ) सरकारी सेवा या लोक सभा सचिवालय में सेवारत अभ्यर्थी के मामले में अधिकतम पांच वर्ष बशर्ते कि वह ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अन्तिम तारीख तक सरकार अथवा लोक सभा सचिवालय में तीन वर्ष की नियमित एवं सतत् सेवा पूरी कर चुका/चुकी हो, या राज्य सभा सचिवालय, लोकसभा सचिवालय और सरकार में कुल मिलाकर तीन वर्षों की सम्मिलित नियमित और सतत् सेवा पूरी कर चुका/चुकी हो। इसके अतिरिक्त, आयु सीमा में छूट इस शर्त के अध्यधीन होगी कि वह कर्मचारी अपना अन्तिम चयन होने तक नियमित रोजगार में रहे, और

(ङ) यदि अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक है, सैन्य सेवा की अवधि के साथ अधिकतम तीन वर्ष, जो अधिकतम 45 वर्ष की आयु तक है।

(iii) राज्य सभा सचिवालय में नियमित आधार पर कार्यरत अभ्यर्थियों के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है।

(iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थी, जो उपर्युक्त पैरा 4ख(ii)(ग),(घ) और (ङ) के अन्य खण्डों अर्थात् निःशक्त के दायरे में भी आते हैं अथवा सरकार या लोक सभा सचिवालय में कार्यरत हैं या भूतपूर्व सैनिकों के वर्ग से संबंधित हैं, वे दोनों श्रेणियों के अंतर्गत आयु में संचयी छूट पाने के हकदार होंगे।

(v) कोई भी अभ्यर्थी जातिगत आरक्षण (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.) या आयु सीमा में छूट का लाभ पाने का हकदार तभी होगा, यदि वह जाति/जनजाति विशेष, जिससे वह अभ्यर्थी संबंधित है, आरक्षण के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई इन जातियों की सूची में सम्मिलित हो।

(vi) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आयु सीमा में छूट इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना लागू होगी कि वह पद आरक्षित है या नहीं, बशर्ते कि वह पद अभ्यर्थी की दिव्यांगता के स्वरूप के लिए उपयुक्त अभिनिर्धारित हो। विज्ञापित पदों के लिए अनुमेय शारीरिक दिव्यांगता का स्वरूप उपर्युक्त पैरा 1 में दी गई तालिका के कॉलम 5 में दिया गया है।

(vii) 'भूतपूर्व सैनिक' शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें समय-समय पर यथासंशोधित भूतपूर्व सैनिक (सिविल सेवाओं और पदों में पुनर्नियोजन) नियमावली, 1979 में भूतपूर्व सैनिक के रूप में परिभाषित किया गया है। पैरा 4 ख(ii)(ङ) के अंतर्गत आयु सीमा में छूट उन भूतपूर्व सैनिकों के लिए मान्य नहीं होगी जिन्हें उनके अपने निवेदन पर पदमुक्त किया गया हो।

(viii) आरक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले या आयु सीमा में छूट प्राप्ति के इच्छुक अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया के अन्तिम चरण में विहित प्रपत्र में अपने अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./निःशक्त व्यक्ति/भूतपूर्व

सैनिक/सरकारी कर्मचारी/लोक सभा या राज्य सभा सचिवालय का कर्मचारी होने के समर्थन में एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इन प्रमाण-पत्रों के प्रपत्र राज्य सभा सचिवालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहने पर उसकी उम्मीदवारी सरसरी तौर पर खारिज की जा सकती है।

ग. लेखक प्रदान करने की सुविधाः

(i) चालीस प्रतिशत और उससे अधिक मंद दृष्टि वाले दृष्टि बाधित (वी.एच.) अभ्यर्थी परीक्षा में लेखक की सहायता ले सकते हैं बशर्ते कि इस प्रकार का निवेदन आवेदन-पत्र में किया गया हो। दृष्टि बाधित अभ्यर्थियों को अपने लिए ऐसा लेखक स्वयं लाना होगा जो भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा निर्धारित मापदण्डों को पूरा करता हो। ऐसे अभ्यर्थियों को विहित प्रपत्र में परीक्षा, जिसके लिए लेखक की आवश्यकता है, की तारीख से कम-से-कम दो सप्ताह पूर्व भर्ती प्रकोष्ठ के समक्ष आवेदन करना होगा और इसके लिए स्वीकृति लेनी होगी। लेखक हेतु निर्धारित मानदण्ड और लेखक हेतु स्वीकृति प्राप्त करने संबंधी प्रपत्र राज्य सभा की वेबसाइट *(http://www.rajyasabha.nic.in → Recruitment Cell → Downloads)* पर उपलब्ध है। प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं 'ब्रेल' में उपलब्ध नहीं किए जायेंगे। दृष्टिबाधित व्यक्तियों/एक ही आंख से देख पाने वाले अभ्यर्थियों को, जो आवर्धक लैंस की सहायता से उत्तर लिखने/अंकित करने की इच्छा रखते हैं, परीक्षा हॉल में आवर्धक लैंस का उपयोग करने की अनुमति होगी। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल में स्वयं अपने आवर्धक लैंस लाने होंगे।

(ii) दृष्टिहीन और 40 प्रतिशत या उससे अधिक आंशिक रूप से दृष्टिबाधित व्यक्तियों सहित दृष्टिबाधित अभ्यर्थी अंकगणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए अपने साथ स्वयं अपना टेलर फ्रेम और पेपर के साथ ब्रेल स्लेट ला सकेगा। दृष्टिबाधित अभ्यर्थी को उसके लेखक, जहां अनुमत्य हो, के अतिरिक्त किसी भी परिचारक को परीक्षा परिसर के अन्दर लाने की अनुमति नहीं होगी।

(iii) अतिरिक्त समय का प्रावधानः चालीस प्रतिशत और इससे अधिक मंद दृष्टि वाले दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को प्रारम्भिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में प्रति घण्टा बीस मिनट का अतिरिक्त समय दिया जायेगा।

(घ) **परिवीक्षा अवधिः** नियुक्ति हेतु चुने गए अभ्यर्थी दो वर्षों की आरम्भिक अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे। परिवीक्षा की अवधि के दौरान, अभ्यर्थियों को ऐसे प्रशिक्षण प्राप्त करने होंगे और ऐसे परीक्षणों/परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना होगा जो आवश्यक समझे जाएंगे। कोई भी अभ्यर्थी, जो इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं कर पायेगा अथवा विहित परीक्षणों/परीक्षाओं में उत्तीर्ण नहीं हो पाएगा या अन्यथा नियुक्ति हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाएगा, तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

5. आवेदन शुल्कः

(i) आवेदन-पत्र के साथ प्रत्येक आवेदित पद हेतु 300 रुपये के आवेदन शुल्क तथा बैंक प्रभार, जो भी लागू हो, का भुगतान करना होगा।

(ii) **अभ्यर्थी आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से, अर्थात् नेट बैंकिंग, क्रेडिट और डेबिट कार्ड से ही कर सकते हैं। भुगतान के किसी अन्य तरीके को स्वीकार नहीं किया जाएगा।** जिन अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त नहीं है, उनका पंजीकरण आवेदन शुल्क को सफलतापूर्वक जमा करने के पश्चात् ही पूरा होगा।

(iii) आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त अभ्यर्थियों की पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन को अन्तिम रूप से सफलतापूर्वक जमा करने के पश्चात् पूर्ण हो जायेगी।

(ii) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निःशक्त व्यक्ति, महिला और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थी, जो पहले ही केन्द्रीय सरकार की सिविल सेवा में नियुक्ति पा चुके हैं, शुल्क में छूट पाने के हकदार नहीं होंगे।

6. **परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं माध्यमः**

प्रारम्भिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा दोनों के लिए विभिन्न प्रश्न-पत्रों का विस्तृत पाठ्यक्रम राज्य सभा सचिवालय की वेबसाइट : *(http://www.rajyasabha.nic.in → Recruitment Cell → Syllabus of examination)* पर उपलब्ध है। विशिष्ट भाषा के प्रश्न-पत्रों के अलावा, परीक्षा का माध्यम हिन्दी या अंग्रेजी होगा।

7. **परीक्षा की योजनाः**

(i) विभिन्न पदों के लिए परीक्षा की योजना का विस्तृत ब्यौरा राज्य सभा की वेबसाइट पर उपलब्ध है। चयन प्रक्रिया के कई चरण हो सकते हैं अर्थात् प्रारंभिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षण और साक्षात्कार इत्यादि। विभिन्न पदों हेतु परीक्षाओं (जैसे-लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षण और साक्षात्कार) के कतिपय चरणों/प्रश्न-पत्रों के लिए विहित न्यूनतम अर्हक अंक प्रतिशत राज्य सभा की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सचिवालय के पास किसी भी पद के लिए परीक्षा के किन्हीं अन्य चरणों/प्रश्न-पत्रों के लिए न्यूनतम अर्हक अंक प्रतिशत विहित करने तथा पहले ही विहित किए जा चुके न्यूनतम अर्हक अंक प्रतिशत को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है। तथापि, किसी भी चरण/प्रश्न-पत्र के लिए यथा विहित अथवा संशोधित न्यूनतम अर्हक अंक प्रतिशत को उस चरण/प्रश्न-पत्र के लिए परीक्षा आयोजित करने से पूर्व अधिसूचित किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा कम्प्यूटर आधारित परीक्षा होगी जिसमें बहुवैकल्पिक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होगे। प्रारंभिक परीक्षा, भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए एक छंटनी परीक्षा का कार्य करेगी और केवल वे अभ्यर्थी ही परीक्षा के अगले चरण में भाग लेने के पात्र होंगे, जो भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए अभ्यर्थी बुलाए जाने के लिए अनुमोदित मानदंड के अनुरूप प्रारंभिक परीक्षा में सफल होंगे। **प्रारंभिक परीक्षा में नकारात्मक अंकन (नेगेटिव मार्किंग) होगा तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक कम कर दिए जाएंगे।** संसदीय भाषांतरकार (हिंदी/अंग्रेजी), संसदीय भाषांतरकार (उड़िया) के पदों के लिए भाषण परीक्षा होगी और केवल वे अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र होंगे, जो भाषण परीक्षा में निर्धारित अर्हक अंक प्राप्त करेंगे। अंतिम योग्यता क्रम सूची तैयार करने में भाषण परीक्षा में प्राप्त अंकों को सम्मिलित किया जाएगा।

(ii) विभिन्न 'पद समूहों' के अंतर्गत पद/पदों के लिए भाषण परीक्षा/प्रारंभिक परीक्षा की योजना निम्नानुसार हैः-

पद समूह I:पद समूह-I के अंतर्गत पद के लिए हिंदी और अंग्रेजी में 100 अंकों की भाषण परीक्षा होगी जिसमें प्रत्येक भाषा में भाषण परीक्षा के लिए 50 अंक होंगे। उस परीक्षा की अवधि हिन्दी तथा अंग्रेजी प्रत्येक भाषा के लिए 3 मिनट की होगी। अभ्यर्थी को अंग्रेजी में दिए गए सात विषयों में से किसी एक विषय पर अंग्रेजी में तथा हिंदी में दिए गए सात विषयों में से किसी एक विषय पर हिंदी में तीन-तीन मिनट बिना तैयारी के बोलना होगा। इसका उद्देश्य अभ्यर्थी की धाराप्रवाहिता, भाषा-सामग्री, शैली, उच्चारण एवं स्वराघात, विषय-सामग्री एवं वाणी का मूल्यांकन करना है।

पद समूह II: पद समूह II के अंतर्गत पद के लिए अंग्रेजी में 100 अंकों की भाषण परीक्षा होगी। अभ्यर्थी को दिए गए सात विषयों में से किसी एक विषय पर अंग्रेजी में तीन मिनट के लिए तत्काल बोलना होगा। इसका उद्देश्य अभ्यर्थी की धाराप्रवाहिता, भाषा-सामग्री, शैली, उच्चारण एवं स्वराघात, विषय-सामग्री एवं वाणी का मूल्यांकन करना है।

पद समूह III:पद समूह III के अंतर्गत पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा की समयावधि 3 घंटे की होगी और उसमें 180 प्रश्नों वाला एक बहुवैकल्पिक प्रश्न-पत्र होगा जिसमें (i) सामान्य बुद्धिमत्ता (तार्किक क्षमता); (ii) सामान्य ज्ञान; और (iii) अंग्रेजी भाषा में से प्रत्येक से 60-60 प्रश्न पूछे जाएंगे।

पद समूह IV:पद समूह IV के अंतर्गत पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा की समयावधि 3 घंटे की होगी और उसमें 200 प्रश्नों वाला एक बहु-वैकल्पिक प्रश्न-पत्र होगा, जिसमें (i) सामान्य बुद्धिमत्ता (तार्किक क्षमता); (ii) सामान्य ज्ञान; (iii) अंग्रेजी भाषा और; (IV) हिन्दी भाषा में से प्रत्येक से 50-50 प्रश्न पूछे जाएंगे।

8. **ऑनलाइन आवेदन कैसे करें:**

(i) **ऑनलाइन आवेदन** जमा करने की सुविधा **25 जुलाई, 2017 से 18 अगस्त, 2017** तक उपलब्ध है। तथापि अभ्यर्थी द्वारा पहले से पंजीकृत आवेदन के लिए **शुल्क भुगतान 20 अगस्त, 2017 तक किया जा सकता है।**

(ii) अभ्यर्थी राज्य सभा की वेबसाइट http://www.rajyasabha.nic.in पर जाएं और हाइपरलिंक "Apply Online" पर क्लिक करें। यहां से अभ्यर्थी ऑनलाइन पंजीकरण पृष्ठ पर पहुंच जाएगा। पहली बार पंजीकरण करने के लिए "REGISTER" टैब का चयन करें।

(iii) अभ्यर्थी को अलग-अलग पद समूहों के अंतर्गत पद/पदों के लिए पृथक रूप से आवेदन जमा करना होगा। तथापि, एक ही "पद समूह" में शामिल एक या एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने पर एक ही आवेदन प्रपत्र जमा करना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पद समूहों के अंतर्गत पद/पदों के लिए आवेदन करना चाहता है; तो उसे प्रत्येक "पद समूह" के लिए पृथक "पंजीकरण" करना होगा। विभिन्न "पद समूहों" में शामिल पदों के लिए आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को अलग-अलग ईमेल एड्रेस देना होगा।

(iv) अभ्यर्थी को कोई भी प्रविष्टि करने या किसी भी विकल्प का चयन करने से पूर्व विज्ञापन तथा ऑनलाइन आवेदन में दिए गए अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते हुए अभ्यर्थी द्वारा सभी अपेक्षित विवरण भरे जाने चाहिए। आवेदन प्रपत्र भरते समय ब्राउज़र में पॉप-अप विन्डो को खुलने देना चाहिए क्योंकि ये विन्डो आवेदन प्रपत्र भरने में सहायक होंगी।

(iv) ऑनलाइन आवेदन चार भागों में भरा जाएगाः (i) **अभ्यर्थी पंजीकरण** (ii) **व्यक्तिगत ब्यौरा** (iii) **फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना और** (iv) **भुगतान संबंधी जानकारी।** भाग (iv), अर्थात भुगतान संबंधी जानकारी केवल उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्हें शुल्क भुगतान से छूट प्राप्त नहीं है।

(v) अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि 'SUBMIT' बटन पर क्लिक करने से पूर्व वह यह जांच कर ले कि उसके द्वारा भरा गया सभी ब्यौरा सही है। अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित कर सकता है कि आवेदन प्रपत्र में उसका नाम, उसके माता एवं पिता का नाम, जन्म-तिथि, इत्यादि सही रूप में भरे गए हैं और उसने अपनी श्रेणियों तथा छूट इत्यादि का सही उल्लेख किया है। कोई गलत सूचना उसकी अभ्यर्थिता निरस्त करा सकती है। आवेदन को अंतिम रूप से जमा कर दिए जाने के पश्चात् किसी भी परिस्थिति में आवेदन-प्रपत्र में किसी भी प्रविष्टि में परिवर्तन/सुधार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(vi) पहले दो भाग पूरे करने के पश्चात् अभ्यर्थी को अपनी हाल ही में ली गई **पासपोर्ट आकार की स्कैन की हुई रंगीन फोटो (जेपीजी/जेपीईजी फॉर्मेट** तथा **500 केबी. से अनधिक** आकार में) तथा **श्वेत पत्र पर काली स्याही से किए गए हस्ताक्षर की स्कैन की गई प्रति (जेपीजी/जेपीईजी फॉर्मेट** तथा **500 केबी. से अनधिक** आकार में) को अपलोड करना होगा।

(vii) फोटो और हस्ताक्षर को अपलोड करने के पश्चात् वे अभ्यर्थी, जिनके लिए आवेदन शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है, 'CONTINUE TO PAYMENT' बटन पर क्लिक करके भुगतान कर सकते हैं। आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त अभ्यर्थियों की पंजीकरण प्रक्रिया भाग (iii), अर्थात स्कैन की गई फोटो और हस्ताक्षर को अपलोड करने के पश्चात् पूर्ण हो जाएगी।

(viii) 'Pay Now' बटन पर क्लिक करने के पश्चात् आवेदन शुल्क का भुगतान आरंभ करने पर अभ्यर्थी शुल्क पोर्टल पर पहुंच जाएगा जहां वह भुगतान के माध्यम (नेट बैंकिंग,/क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड) का चयन करेगा और अनुदेशों का अनुसरण करेगा।

(ix) आवेदन शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान के पश्चात्, अभ्यर्थी शुल्क भुगतान विवरण सहित अपनी पंजीकरण स्लिप का प्रिंट आउट ले सकता है। जिन अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त नहीं है, उनका पंजीकरण आवेदन शुल्क को सफलतापूर्वक जमा करने के पश्चात् ही पूरा होगा। यदि शुल्क भुगतान सफलतापूर्वक पूरा नहीं होता है तो उसका आवेदन स्वतः ही रद्द/अस्वीकार हो जाएगा और आगे की प्रक्रिया में उस पर विचार नहीं होगा।

(x) अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा स्कैन की गई फोटो और हस्ताक्षर की जो तस्वीरें अपलोड की गयी हैं, वे स्पष्ट हों। फोटो अथवा हस्ताक्षर की तस्वीरें अस्पष्ट होने की स्थिति में आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।

(xi) अपूर्ण ऑनलाइन आवेदनों को तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(xii) अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे पंजीकरण स्लिप का प्रिंट आउट ले लें और उसे संभाल कर रखें।

(xiii) ऑनलाइन आवेदन को जमा करने में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर अभ्यर्थी recruitmentcellexam2017@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं।

9. **सामान्य अनुदेशः**

(i) अभ्यर्थियों के लिए एक पद समूह में शामिल एक या एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने हेतु मात्र एक आवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित है परंतु उन्हें पद समूह में आवेदन किये गये प्रत्येक पद हेतु 300/- रुपये की दर से शुल्क तथा यथा लागू बैंक प्रभार का विहित तरीके से भुगतान करना होगा। ऐसे अभ्यर्थियों, जो एक से अधिक पद समूहों के पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, को प्रत्येक पद समूह के लिए पृथक्-पृथक् आवेदन करना चाहिए। एक ही पद समूह के लिए कई आवेदन प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन प्रपत्र अस्वीकार किये जा सकते हैं।

(ii) अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे पंजीकरण स्लिप का प्रिंट आउट ले लें। अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदनों/पंजीकरण स्लिप या कोई अन्य दस्तावेज भर्ती प्रकोष्ठ में डाक द्वारा भेजने अथवा स्वयं जाकर जमा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि वे भर्ती प्रक्रिया के अंतिम चरण तक पहुंचते हैं तो उन्हें अपनी पंजीकरण स्लिप का प्रिंटआउट अपने साथ लाना होगा।

(iii) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख की प्रतीक्षा किए बिना पर्याप्त समय रहते ऑनलाइन आवेदन जमा करा दें क्योंकि सचिवालय किसी भी आधार पर आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख को बढ़ाने के लिए किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं करेगा।

(iv) जो अभ्यर्थी स्थायी अथवा अस्थायी तौर पर सरकारी सेवा में हैं या सरकारी उद्यम के अधीन कार्यरत हैं, उन्हें भर्ती प्रक्रिया के अंतिम चरण में अपने नियोक्ता से इस आशय का "**अनापत्ति-प्रमाण-पत्र**" लेकर प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि नियोक्ता को राज्य सभा सचिवालय द्वारा अभ्यर्थी के किसी पद के लिए नियुक्ति हेतु विचार किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अभ्यर्थिता सरसरी तौर पर निरस्त कर दी जाएगी। "**अनापत्ति प्रमाण पत्र**" प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी को उस संगठन, जिसमें वह कार्यरत है, की अपेक्षाओं का अनुपालन करना चाहिए।

(v) आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस विज्ञापन में उल्लिखित अर्हता की सभी शर्तें पूरी करते हैं। अभ्यर्थी को अपनी अर्हता के संबंध में अपने आवेदन में की गई घोषणा के आधार पर भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में प्रवेश दिया जाएगा। राज्य सभा सचिवालय भर्ती प्रक्रिया के अंतिम चरण में ही अभ्यर्थी की अर्हता की विस्तृत जांच करेगा। इस दृष्टि से अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता उसकी अर्हता की जांच किये जाने और उसके सभी प्रकार से योग्य पाए जाने तक अनंतिम होगी। यदि अभ्यर्थी संबंधित पद के लिए अयोग्य पाया जाता है, तो सचिवालय को भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने की स्वतंत्रता होगी। अभ्यर्थी की अर्हता निर्धारित करने में राज्य सभा सचिवालय का निर्णय अंतिम होगा। इस तथ्य कि अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र/बुलावा-पत्र (कॉल लेटर) जारी किया जा चुका है और उसे परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार आदि में प्रवेश की अनुमति दी जा चुकी है, का यह अभिप्राय नहीं है कि सचिवालय द्वारा उसकी अभ्यर्थिता अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गयी है या आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा की गई प्रविष्टियां सचिवालय द्वारा सत्य और सही मान ली गई है।

(vi) आयु/योग्यता/अनुभव/जाति/क्रीमी लेयर की स्थिति की गणना ऑनलाइन आवेदन को जमा किये जाने की अंतिम तिथि से की जाएगी जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो।

(vii) आवेदकों से यह अपेक्षा की जाती है कि उनके पास एक वैध निजी ई-मेल आईडी हो और इसे कम-से-कम भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने तक सक्रिय रखा जाना चाहिए। भर्ती प्रकोष्ठ प्रारंभिक परीक्षाओं, मुख्य परीक्षाओं, कौशल परीक्षा, साक्षात्कार आदि के लिए 'कॉल लेटर' सहित विभिन्न सूचनाएं ई-मेल द्वारा भेज सकता है या अभ्यर्थी उन्हें राज्य सभा की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

(viii) अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे आवेदन-प्रपत्र में एक मोबाइल फोन नंबर का उल्लेख करें ताकि एसएमएस/कॉल के माध्यम से उनसे संपर्क किया जा सके।

(ix) पाठ्यक्रम, परीक्षा योजना और लेखक के लिए मानदंड के संबंध में विस्तृत जानकारी राज्य सभा की वेबसाइट : *(http://www.rajyasabha.nic.in → Recruitment Cell → Syllabus/Scheme of Examination/Instructions to the Candidates)* से प्राप्त की जा सकती है। जाति/निःशक्तता/सरकारी सेवा/भूतपूर्व सैनिक प्रमाण-पत्रों के प्रपत्र और लेखक की स्वीकृति के लिए प्रपत्र भी संबंधित लिंक के अंतर्गत उपलब्ध हैं।

(x) अभ्यर्थियों को राज्य सभा की वेबसाइट पर भर्ती प्रकोष्ठ का वेब पृष्ठ नियमित रूप से अवश्य देखना चाहिए। भर्ती से संबंधित सभी सूचनाएं वेब पृष्ठ पर उपलब्ध रहेंगी। वेबसाइट पर दी गई जानकारी अभ्यर्थी को 'सूचना दी गई' के रूप में मानी जाएगी।

(xi) यदि किसी पद के लिए अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या भर्ती प्रक्रिया के आगामी चरण के लिए अभ्यर्थियों को बुलाने हेतु स्वीकृत मानक से कम या समान है, तो उस पद के लिए प्रारंभिक परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकती है।

(xii) परीक्षा के आगामी चरण हेतु अभ्यर्थियों के चयन के समय प्रारंभिक परीक्षा/कौशल परीक्षा/मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किये गये अंक समान होने की स्थिति में ऐसे सभी अभ्यर्थी, जो संबंधित श्रेणियों में चयनित अभ्यर्थियों की सूची में अंतिम स्थान प्राप्त अभ्यर्थी के समान अंक प्राप्त करते हैं, परीक्षा के आगामी चरण के लिए चयनित होंगे। तथापि, भर्ती प्रक्रिया के अंतिम चरण में समान अंक प्राप्त होने के मामले उत्तरोत्तर निम्नलिखित मानदंडों द्वारा निपटाए जाएंगे - (i) उस पद के लिए निर्धारित वांछनीय योग्यता वाले अभ्यर्थी; (ii) लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी; (iii) प्रारंभिक परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी; और (iv) अपेक्षाकृत अधिक आयु वाले अभ्यर्थी।

(xiii) किसी तरह की पैरवी करने वाले अभ्यर्थी का आवेदन सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

10. **परीक्षा केन्द्र**

प्रारंभिक परीक्षा अहमदाबाद, इलाहाबाद, बंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, दुर्गापुर, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव, गुवाहाटी, हैदराबाद, जबलपुर, जयपुर, जम्मू, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, मदुरई, मुंबई, नागपुर, नोएडा/ग्रेटर नोएडा, पणजी, पटना, पुडुचेरी, रायपुर, रांची, शिमला, श्रीनगर, सूरत, तिरुवंनतपुरम, उदयपुर, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम में होगी। तथापि, राज्य सभा सचिवालय इनमें से किसी केन्द्र पर किसी "पद समूह' के लिए प्रारंभिक परीक्षा आयोजित नहीं करेगा यदि अपनी प्रथम वरीयता के रूप में उस केंद्र का चयन करने वाले अर्हक अभ्यर्थियों की संख्या 100 से कम हो। तथापि, भाषण परीक्षाएं, मुख्य परीक्षाएं, कौशल परीक्षाएं, शारीरिक मापन और शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षाएं और साक्षात्कार केवल दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। तथापि, अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा केन्द्र के आबंटन में अंतिम विवेकाधिकार राज्य सभा सचिवालय का होगा। राज्य सभा सचिवालय के पास किसी केन्द्र को रद्द करने और उस केन्द्र के अभ्यर्थियों को किसी अन्य केन्द्र में परीक्षा देने के लिए कहने का भा अधिकार सुरक्षित है।

11. **अभ्यर्थिता को निरस्त किया जाना**

अभ्यर्थी को चेतावनी दी जाती है कि उसे कोई अधूरी, गलत या भ्रामक जानकारी नहीं देनी चाहिए या ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करना चाहिए जो त्रुटिपूर्ण, नकली अथवा जाली या अन्यथा अस्वीकार्य हो अथवा वह कपटपूर्ण ढंग से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति/भूतपूर्व सैनिक आदि के दर्जे का दावा नहीं करे। यदि इस तरह के किसी भी मामले का पता चलता है, तो इस सचिवालय के पास अन्य उचित कानूनी कार्रवाई के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता या चयन वापस लेने/निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। उस अभ्यर्थी को इस सचिवालय द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा में भाग लेने से स्थायी रूप से या किसी निर्धारित अवधि के लिए विवर्जित किया जा सकता है।

12. **भर्ती को निरस्त करने का अधिकार**

राज्य सभा सचिवालय को बिना किसी पूर्व सूचना या इसका कोई कारण बताए बिना किसी एक या सभी पदों के लिए पूरी या किसी चरण/प्रश्न-पत्र भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार है।